निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

फोन :– 0141–2612592, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : ss01rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांक : गृरगु / क.कोष / छात्रवृति / 2020–2021 / 12053-99 दिनांक : 16/4/2020

स्थाई आदेश संख्या 11 / 2020

राजस्थान गृह रक्षा कल्याण निधि (वैलफेयर फण्ड) से छात्रवृति

राजस्थान गृह रक्षा विभाग द्वारा विभाग के अधिकारियों,कर्मचारियों,स्वयं सेवकों एवं स्वयं सेविकाओं व उनके परिवार के कल्याणार्थ एक कल्याण निधि (वैलफेयर फण्ड) का गठन किया गया है। इस निधि का उद्देश्य ऐसी कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना है जिससे समस्त स्वयं सेवको एवं विभागीय कार्मिक का जीवन स्तर ऊपर उठ सके तथा विषम आर्थिक परिस्थितियों में उनको व उनके परिवारजनों को सहायता मिल सके। इसी क्रम में सभी विभागीय अधिकारियों,कर्मचारियों,स्वयं सेवको एवं स्वयं सेविकाओं के पुत्र / पुत्रियों के शिक्षण स्तर को बढ़ाने एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए विभाग की कल्याण निधि से प्रोत्साहन एवं पुरस्कार स्वरूप छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। गृह रक्षा राजस्थान कल्याण निधि से स्वयं सेवकों एवं कार्मिकों के आश्रित बच्चों को छात्रवृति स्वीकृत किये जाने हेतु नियम एवं प्रक्रिया का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

1. छात्रवृति / विशेष पुरस्कार के प्रकार व दर :–

(अ) सामान्य पाठ्यक्रम प्रोत्साहन छात्रवृति

क.सं.	शिक्षण संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	कार्मिक / स्वयं सेवक के पुत्र / पुत्री को देय एकमुश्त वार्षिक राशि (रूपयों में)
1.	राजकीय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय	छठी से 8 वीं (केवल छात्राओं हेतु)	3,000 / –
		9 वीं से 12 वीं	8,000 / –
2.	राजकीय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय	बी.ए / बी.कॉम / बी.एस.सी. / 5 वर्षीय लॉ कोर्स / बी.सी.ए / बी.एच.एम. / बी.वी.ए. / बी.फार्मा / बी.डी.एस / सी.ए. / सी.एस. / आई.सी.डब्लू. ए. / पॉलीटेकनिक / 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा समकक्ष स्तर में अध्ययनरत छात्र / छात्रा	12,000 / –

Scanned by CamScanner

(ब) स्नातकोत्तर/तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति

क.सं.	शिक्षण संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	कार्मिक/स्वयं सेवक के पुत्र/ पुत्री को देय एकमुश्त वार्षिक राशि (रूपयों में)
1.	राजकीय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय	एम.ए./एम.कॉम/एम.एस.सी./एम.सी.ए./ एवं समकक्ष स्तर में अध्ययनरत छात्र/छात्रा	15,000/—
2.	तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थान	एम.बी.बी.एस.(MBBS)/एम.बी.ए.(MBA)/बी.ई.(BE)/बी.टेक.(B Tech)/एन.आई.डी.(NID)/एन.आई.एफ.टी.(NIFT)/एन.एल.यू.(NLU) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा	20,000/—
3.	प्रीमियर तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थान	आई.आई.टी (IIT)/आई.आई.एम (IIM)/ए.आई.एम.एस. (AIIMS)/आई.आई.एस.सी. (IISC)/बी.आई.टी.एस. (BITS) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा	30,000/—

(स) विशेष पुरस्कार

क.सं.	पुरस्कार	विवरण	कार्मिक/स्वयं सेवक के पुत्र/ पुत्री को मात्र एक बार देय राशि (रूपयों में)
1.	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना/ एन.टी.एस.ई (NTSE)	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अथवा एन.टी.एस.ई के अन्तर्गत चयनित होने पर	30,000/—
2.	मैरिट छात्रवृति	10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड की परीक्षा में राज्य स्तरीय मैरिट में 10 वें स्थान तक आने वाले छात्र/छात्रा	30,000/—
3.	विशेष योग्यता	10 वीं एवं 12 वी बोर्ड की परीक्षा में 90 एवं 90 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने पर अथवा एन.डी.ए.(NDA)/आई.एम.ए.(IMA) में चयनित होने पर।	15,000/—

2. पात्रता :

(i) प्रत्येक कार्मिक/स्वयं सेवक का गृह रक्षा वैलफेयर फण्ड का सदस्य होना अनिवार्य है। आवेदन तिथि को विभागीय कार्मिक का राज्य सेवा में होना एवं स्वयं सेवक का गृह रक्षा सदस्य होना आवश्यक है।

(ii) गृह रक्षा विभाग के वैलफेयर फण्ड के सदस्यों के आश्रित एवं योग्य पुत्र एवं पुत्रियों को ही छात्रवृति देय होगी।

(iii) प्रत्येक कार्मिक/स्वयं सेवक के अधिकतम दो पुत्रों/पुत्रियों को ही एक शैक्षिणिक वर्ष में छात्रवृति देय होगी।

Scanned by CamScanner

(iv) आवेदन कर्ता कार्मिक/स्वयं सेवक को पिछले पांच वर्षों की वैलफेयर फण्ड सदस्यता शुल्क राशि जमा होने पर ही छात्रवृति देय होगी। इस आशय का कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र(संलग्न प्रपत्र–4) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(v) छात्रवृति गत वर्ष में प्राप्त अंको के आधार पर ही दी जायेगी। **उदाहरण:–** 1 जुलाई से 15 अगस्त 2020 तक प्राप्त आवेदनों में छात्रवृति वर्ष 2019–2020 के शैक्षणिक वर्ष की योग्यता/अंको के आधार पर छात्रवृति/विशेष पुरस्कार दिया जायेगा।

(vi) **सभी प्रकार की छात्रवृतियां गत वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही देय होंगी। छात्राओं के लिए न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत होंगे।** यदि कुछ पाठ्यक्रमों में CGPA प्रदान की जाती है तो उसे समकक्ष प्रतिशत अंको में परिवर्तित कर गणना की जायेगी। प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त होना आवश्यक है। सानुग्रह या पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रवृति देय नहीं होगी।

3. प्रकिया :–

(i) कार्मिक/स्वयं सेवक छात्रवृति के आवेदन प्रत्र (संलग्न प्रपत्र–1/2) पूर्ण दस्तावेजों सहित पुत्र/पुत्री की उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका,वैलफेयर फण्ड की सदस्यता शुल्क की रसीद एवं स्कूल/कॉलेज/संस्था द्वारा जारी नियमित छात्र प्रमाण–पत्र (संलग्न प्रपत्र–3) मेरिट प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–5) KVPY एवं NTSE प्रमाण–पत्र इत्यादि जो भी लागू हो, की पूर्ति कर अपने संबंधित कार्यालय में प्रत्येक वर्ष **1 जुलाई से 15 अगस्त** तक प्रस्तुत करेंगे।

(ii) समस्त इकाईयाँ विभागीय स्थाई आदेश संख्या 11/2020 के अनुरूप समस्त कार्मिकों/स्वयं सेवकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं सलंग्न दस्तावेजों की पूर्ण जांच कर सभी प्रकरणों को संबंधित समादेष्टा/ कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से उनके प्रमाण–पत्र(संलग्न प्रपत्र–4) सहित गृह रक्षा मुख्यालय को प्रत्येक वर्ष **31 अगस्त** तक मय चैक लिस्ट (संलग्न प्रपत्र–7) प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) गृह रक्षा ईकाइयों से प्राप्त छात्रवृति के आवेदन पत्रों की जांच मुख्यालय की वैलफेयर शाखा के द्वारा **15 अक्टूबर** तक पूर्ण की जाये। आवेदन पत्र में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित ईकाई के माध्यम से **15 अक्टूबर** तक पूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

(iv) वैलफेयर शाखा द्वारा सभी प्रकरणों को उच्चाधिकारियों के माध्यम से महानिदेशक, गृह रक्षा को प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक, गृह रक्षा द्वारा योग्य अभ्यार्थियों को छात्रवृति स्वीकृत की जायेगी।

(v) मुख्यालय द्वारा छात्रवृति स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद ईकाइयों को भिजवाया जावेगा। समस्त इकाईयां स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात 15 दिवस में विभागीय कार्मिक/स्वयं सेवक के बैक खाते में स्वीकृत राशि जमा करवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।

4. <u>नियम/शर्ते/निर्देश</u>

(i) छात्रवृति वर्तमान में राजकीय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत होने पर ही देय होगी। इस आशय का संस्था द्वारा जारी प्रमाण–पत्र(संलग्न प्रपत्र–2) आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(ii) स्वयंपाठी व पत्राचार से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति देय नही होगी।

(iii) विशेष योग्यता पुरस्कार/मैरिट छात्रवृति परीक्षा परिणाम जारी होने के तुरन्त पश्चात चालू सत्र में अग्रिम अध्ययन करने की स्थिति में एवं केवल एक बार ही देय होगी।

(iv) एक सत्र में एक सदस्य को सामान्य/तकनीकी/विशेष योग्यता पुरस्कार एवं मैरिट/प्रोत्साहन छात्रवृति में से केवल एक छात्रवृति जिसमें अधिकतम राशि देने का प्रावघान है, स्वीकृत की जावेगी।

(v) यदि कोई छात्र/छात्रा एक या दो वर्ष के अन्तराल के बाद नियमित अध्ययन प्रारम्भ करता है तो गत नियमित अध्ययनरत वर्ष की अंकतालिका के आधार पर छात्रवृति देय होगी लेकिन दो वर्ष से अधिक अन्तराल होने पर छात्रवृति देय नही होगी।

Scanned by CamScanner

(vi) श्रेणी सुधार हेतु पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्राप्त होने वाली अंकतालिका के आधार पर छात्रवृति देय नही होगी।

(vii) छात्र/छात्रा के एक स्नातक कोर्स करने के बाद दूसरा स्नातक कोर्स अथवा एक स्नातकोत्तर कोर्स करने के बाद दूसरे विषय में स्नातकोत्तर कोर्स की शिक्षा प्राप्त करने पर पुनः छात्रवृति देय नही होगी।

(viii) साधारण स्नातक के बाद तकनीकी शिक्षा यथा चिकित्सा,इन्जीनियरिंग, विधि स्नातक, बी. फार्मा आदि में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृति देय होगी।

(ix) तकनीकी स्नातक होने के बाद किसी भी अन्य संकाय से स्नातकोत्तर में प्रवेश पर छात्रवृति देय नही होगी। इसी प्रकार एक डिप्लोमा, स्नातक या अन्य कोर्स करने के बाद उसी स्तर पर दूसरा डिप्लोमा या अन्य कोर्स में प्रवेश लेता है तो छात्रवृति देय नही होगी।

(x) तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के मामलों में निर्धारित कक्षा यथा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष आदि उत्तीर्ण करने पर विश्वविघालय/संस्थान की अंकतालिका की प्रति के आधार पर छात्रवृति देय होगी। यदि सेमेस्टर व्यवस्था है, तो शिक्षा सत्र के दोनों सेमेस्टर की अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत करने पर ही छात्रवृति देय होगी।

(xi) स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर केवल अंतिम वर्ष के अंको को ही आधार नही माना जाकर पूर्ण डिग्री कोर्स के अंको को आधार माना जाएगा।

(xii) यह सुनिश्चित करें कि कार्मिक एवं स्वयं सेवक स्वयं के एक अथवा दो बच्चों के लिए केवल एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें की आवश्यकता नहीं है।

(xiii) निर्धारित तिथि के पश्चात प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य होगें।

(xiv) निर्धारित तिथियों में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा। छात्रवृति स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष, गृह रक्षा कल्याण निधि (महानिदेशक गृह रक्षा) का निर्णय अंतिम होगा।

निर्धारित आवेदन पत्र (प्रपत्र–1/2) एवं अन्य प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–3,4,5,6,7) के प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। इनकी प्रति अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित कर समस्त कार्मिक/स्वयं सेवकों को सूचित करते हुए नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

16.04.2020

राजीव दासोत
महानिदेशक,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. निजी सहायक, अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान,जयपुर।
2. निजी सहायक, महानिरीक्षक, गृह रक्षा निदेशालय,राजस्थान,जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार,गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान,जयपुर।
4. उप महासमादेष्टा प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान,जयपुर।
5. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर।
6. सीनियर स्टाफ आफिसर प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान,जयपुर।
7. जूनियर स्टाफ आफिसर, गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान,जयपुर।
8. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
9. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
10. अधिकारी/प्रभारी वेबसाइट,गृह रक्षा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल।

महानिदेशक,
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर।

Scanned by CamScanner

:: आवेदन पत्र ::

सामान्य/स्नातकोत्तर/तकनीकी/व्यावसायिक छात्रवृति हेतु

आवेदन पत्र के सभी कॉलमो की पूर्ति करना आवश्यक है

1. अधिकारी/कर्मचारी/स्वयं सेवक/स्वयं सेविका का नाम व पिता का नाम ....
2. पद (बैल्ट संख्या) ....
3. वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम व स्थान ....
4. सेवा निवृत होने की तिथि ....
5. स्थाई पता निवास ....
6. छात्रवृति चाहने वाले छात्र/छात्रा का नाम ....
7. छात्र/छात्रा का विवरण

क.स.	नाम छात्र/छात्रा	कक्षा जिसमें अध्ययन कर रहा है/रही है।	स्कूल/कॉलेज का नाम व पूरा पता जिसमें अध्ययन कर रहा/रही है (प्रमाण–पत्र संलग्न करे)
1.			
2.			

8. किस छात्रवृति हेतु आवेदन किया गया है :–
9. गत तीन वर्षो की शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–

अ. प्रथम छात्र/छात्रा का नाम :–

क.स.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णाक	कुल प्राप्तांक	डिविजन	प्रतिशत	यदि छात्रवृति प्राप्त हुयी हो तो राशि
1.						
2.						
3.						

ब. द्वितीय छांत्र/छात्रा का नाम

क.स.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णाक	कुल प्राप्तांक	डिविजन	प्रतिशत	यदि छात्रवृति प्राप्त हुयी हो तो राशि
1.						
2.						
3.						

10. छात्र/छात्रा के पिता/माता द्वारा प्रमाण–पत्र :– मै शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन–पत्र में अंकित की गई सूचनाएँ पूर्णतया सही है यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना भविष्य में कभी भी गलत सिद्व हो जाती है तो :–

(अ) मेरे द्वारा ली गई छात्रवृति राशि को वापिस जमा करा दूंगा/दूंगी।

(ब) सक्षम अधिकारियों को मेरे विरूद्व कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही कर कठोर दण्ड देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(स) उक्त छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत सत्र के दौरान किन्ही कारणों से स्कूल/कॉलेज/संस्था छोडने की स्थिति में सूचना दूँगा/दूँगी तथा स्वीकृत छात्रवृति राशि गृह रक्षा कार्यालय में वापिस जमा करवा दूँगा/दूँगी।

संलग्न : स्कूल/कॉलेज का प्रमाण–पत्र, मार्कशीट एवं मैरिट में आने का प्रमाण पत्र।

....

(हस्ताक्षर अधिकारी कर्मचारी
स्वयं सेवक,स्वयं सेविका)
नाम व नम्बर :–
पद :–

Scanned by CamScanner

:: आवेदन पत्र ::

(विशेष योग्यता पुरूस्कार/विशेष छात्रवृति हेतु)

आवेदन पत्र के सभी कॉलमो की पूर्ति करना आवश्यक है

1. अधिकारी/कर्मचारी/स्वयं सेवक/स्वयं सेविका का नाम व पिता का नाम ....

2.पद (बैल्ट संख्या) ....

3.वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम व स्थान ....

4.सेवा निवृत होने की तिथि ....

5.स्थाई पता निवास ....

6.छात्रवृति चाहने वाले छात्र/छात्रा का नाम ....

7.छात्र/छात्रा का विवरण

क.स.	नाम छात्र/छात्रा	कक्षा जिसमें अध्ययन कर रहा है/रही है।	स्कूल/कॉलेज का नाम व पूरा पता जिसमें अध्ययन कर रहा/रही है (प्रमाण–पत्र संलग्न करे)
1.			
2.			

8. किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृति के प्रकरण में पूर्ति करे :–

क. स.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	डिवीजन	प्रतिशत
1.					
2.					

9. National Talent Search Examination (एन.टी.एस.ई) योजना छात्रवृति के प्रकरण में पूर्ति करें।

क. स.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	डिवीजन	प्रतिशत
1.					
2.					

10. मैरिट छात्रवृति के प्रकरण में पूर्ति करे :–

क.स.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	डिविजन	प्रतिशत	दसवी/बारहवी की परीक्षा में मैरिट कमांक
1.						
2.						

11. विशेष योग्यता पुरस्कार के प्रकरण में पूर्ति करे :–

क.स.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1.					
2.					

12. एन.डी.ए.(NDA)/आई.एम.ए.(IMA) परीक्षा में चयनित होने के प्रकरण में पूर्ति करें।

क.स.	परीक्षा का नाम	चयन का वर्ष	रैंक	विशेष विवरण
1.	एन.डी.ए.			
2.	आई.एम.ए.			

Scanned by CamScanner

13. छात्र/छात्रा के पिता/माता द्वारा प्रमाण–पत्र :– मै शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन–पत्र में अंकित की गई सूचनाएँ पूर्णतया सही है यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना भविष्य में कभी भी गलत सिद्ध हो जाती है तो:–

(अ) मेरे द्वारा ली गई छात्रवृति राशि को वापिस जमा करा दूंगा/दूंगी।

(ब) सक्षम अधिकारियों को मेरे विरुद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही कर कठोर दण्ड देने का पूर्ण अधिकार होगा।

(स) उक्त छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत सत्र के दौरान किन्ही कारणों से स्कूल/कॉलेज /संस्था छोडने की स्थिति में सूचना दूँगा/दूँगी तथा स्वीकृत छात्रवृति राशि गृह रक्षा कार्यालय में वापिस जमा करवा दूँगा/दूँगी।

संलग्न : स्कूल/कॉलेज का प्रमाण–पत्र, मार्कशीट एंव मैरिट में आने का प्रमाण पत्र।
किशोर वैज्ञानिक योजना/एन.टी.एस.ई. के चयन होने का प्रमाण–पत्र।

....

(हस्ताक्षर अधिकारी कर्मचारी
स्वयं सेवक,स्वयं सेविका)
नाम व नम्बर :–
पद :–

Scanned by CamScanner

प्रपत्र –3

स्कूल/कॉलेज/संस्था द्वारा जारी प्रमाण–पत्र का प्रारूप

प्रमाण–पत्र

स्कूल/कॉलेज/संस्था का नाम ....

कमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/श्री/..शिक्षा सत्र................................ में इस स्कूल/कॉलेज की कक्षा में दिनांक.......................... से नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत है। इन्होने नियमित अध्ययन हेतु स्कूल/कॉलेज की फीस रसीद संख्या ....दिनांक .... के द्वारा राशि रूपये ....जमा करा दी है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस छात्र/छात्रा को स्कूल/कॉलेज से इस सत्र हेतु किसी प्रकार की छात्रवृति नही दी जा रही है। यह संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/संस्था प्रभारी
(मय मोहर)

अथवा

Name of school/college/institution...............

Number :

Dated :

Certficate

This is to certify that Ms/Mrs/Mr............................S,D/O...............is a bonafide student of the school/college.................... in the academic year ....studying in class ....from date............................He/She has paid Rs.............. towards the school/college fee vide receipt No.............dated................... No scholarship is being given to him/her by this institution. This institute has been recognised by Government.

Signature

Principal / Headmaster /

Head of institution

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–4

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..................................पद..............नम्बर................ मेरे अधीन कार्यरत है। उक्त अधिकारी/कर्मचारी/ स्वयं सेवक/स्वयं सेविका द्वारा वैलफेयर फण्ड की गत पॅाच वर्षो की सदस्यता शुल्क की राशि जमा करा दी गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष	कार्यालय का नाम जिसने वैलफेयर फण्ड सदस्यता शुल्क की राशि प्राप्त की है।	सदस्यता शुल्क की रसीद संख्या एवं दिनांक	वैलफेयर फण्ड सदस्यता शुल्क राशि

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष (मोहर सहित)

1. इनके द्वारा स्वयं के पुत्र/पुत्री को वर्ष .... हेतु ....(छात्रवृति का प्रकार) छात्रवृति हेतु आवेदन किया गया है , जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क.स.	पुत्र/पुत्री का नाम	शिक्षा सत्र............... में उत्तीर्ण कक्षा	शिक्षा सत्र .... में अध्ययनरत कक्षा	अध्ययनरत स्कूल/कॉलेज संस्था का नाम	छात्रवृति की राशि
1.					
2.					

(अ) शिक्षा सत्र में उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति संलग्न है।

(ब) शिक्षा सत्र में अध्ययनरत होने के संबंध में स्कूल/कॉलेज/संस्था निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र संलग्न है ।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष (मोहर सहित)

कार्यालय ....
कमाक..........

दिनांक ....

श्री .... पद .... के उक्त पुत्र/पुत्री के संबंध में छात्रवृति स्वीकृति हेतु निर्धारित तथ्य अर्थात वैलफेयर फण्ड सदस्यता शुल्क जमा राशि एवं पूर्व कक्षा निर्धारित श्रेणी में उत्तीर्ण/वर्तमान अध्ययन कक्षा संबंधी तथ्य सही पाये गये है। अत : इन्हें नियमानुसार वैलफेयर फण्ड से रूपये ....की .... (छात्रवृति का प्रकार) देय है।

शाखा प्रभारी

कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार

कार्यालय अध्यक्ष
(मोहर सहित)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

संस्था द्वारा जारी प्रमाण–पत्र का प्रारूप

(केवल बोर्ड की मैरिट में आने वालो के लिए)

संस्थान का नाम ....

कमांक ....

दिनांक ....

प्रमाण –पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/कु0 .... पुत्र/पुत्री/श्री .... द्वारा कक्षा दसवी/बाहरवी वर्ष .... में उत्तीर्ण की है। उक्त छात्र/छात्रा द्वारा बोर्ड की राज्य स्तरीय मैरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है जिसका मैरिट कमांक..................... है। राज्य स्तरीय मैरिट सूची संलग्न है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी
(मय मोहर)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–6

संस्था द्वारा जारी प्रमाण–पत्र का प्रारूप

(केवल KVPY एंव NTSE में चयनित होने वालो के लिए)

संस्थान का नाम : ....

कमांक : ....

दिनांक : ....

प्रमाण –पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/कु0 .... पुत्र/पुत्री/श्री .... द्वारा KVPY/NTSE वर्ष .... में उत्तीर्ण की है। प्रमाण–पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी
(नय मोहर)

प्रपत्र–6 A

(केवल NDA/IMA में चयनित होने वालो के लिए)

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/कु0 ....

पुत्र/पुत्री/श्री ....का चयन NDA/IMA (कृपया एक टिक करें) में

वर्ष .... में हो गया है। चयन की साक्ष्य संलग्न है।

हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी
(नय मोहर)

Scanned by CamScanner

1. अधिकारी / कर्मचारी / स्वयं सेवक / स्वयं सेविका का नाम एवं नम्बर :– ....

........................2.छात्र / छात्रा का नाम : ....

3.उत्तीर्ण कक्षा : ....

4.अध्ययनरत कक्षा : ....

5.उत्तीर्ण कक्षा में अंक प्रतिशत : ....

चैक लिस्ट

1	आवेदन पत्र (प्रपत्र 1/2) के सभी कालमों की पूर्ति की गयी है	हां / नही
2	वर्तमान वर्ष में अध्ययनरत कक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न	हां / नही
3	गत वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया	हां / नही
4	गत वर्ष की अंकतालिका संलग्न	हां / नही
5	उत्तीर्ण कक्षा सेमेस्टर स्कीम के तहत पास की है तो गत वर्ष की दोनो सेमेस्टर की अंकतालिका संलग्न	हां / नही हां / नही
6	उत्तीर्ण कक्षा में छात्र के 60 प्रतिशत अंक	हां / नही
7	उत्तीर्ण कक्षा में छात्रा के 55 प्रतिशत अंक	हां / नही
8	आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किया है	हां / नही
9	अधिकारी / कर्मचारी / स्वयं सेवक / स्वयं सेविका द्वारा कल्याण निधि (वैलफेयर फण्ड) से किस–किस छात्रवृति हेतु आवेदन किया है	1. सामान्य पाठ्यक्रम 2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 3. तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम 3. प्रीमियर तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रम 4. किशौर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत / एन.टी.एस.ई. में चयनित छात्र / छात्राओं के लिए 5. मैरिट छात्रवृति 6. विशेष योग्यता
10	स्कूल / कॉलेज / संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रपत्र 3) संलग्न	हां / नही
11	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र (प्रपत्र 4) संलग्न	हां / नही
12	प्रपत्र 5 एंव 6 संलग्न	हां / नही
13	प्रपत्र 6 A संलग्न	हां / नही

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय मोहर

Scanned by CamScanner